प्रपत्रः—8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्पः—अटल सेवा केन्द्र, जूनामीठा खेड़ा

प्रकरण सं.:—44/2018

दिनांकः—01.06.2018

क्रमांकः—लो.अदा./2018/1043

आदेश

वादी के वाद पत्र व **पटवारी जूनामीठा खेड़ा एवं भू.अ.नि.सिणधरी** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर **राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88** के अनुसरण में ग्राम जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत 2073—2076 में खाता संख्या 85 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैः—

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जूनामीठा खेड़ा	85	306	धूड़ा पुत्र वजा	धूड़ाराम पुत्र वजाराम **शेष बदुस्तर**

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

क्रमांकः—लो.अदा./2018/1044-1046

दिनांकः—01.06.2018

प्रतिलिपिः—

1.तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।

2.प्रार्थी श्री धूड़ाराम पुत्र वजाराम जाति कलबी निवासी जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी को सूंचनार्थ।

3.रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

Scanned by CamScanner